

कार्यालय ग्राम पंचायत-

121 का १२५

विकास खण्ड

१२१/६/४

जनपद-

१२१/३/५

ग्राम

दिनांक 12/6/23

प्राप्ति

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

प्राप्ति

अवगत कराना है कि दिनांक 12/6/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पाठ्याधिकारी / जूहाई स्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनवाडी कार्यकर्ता / सामाजिक, काटेदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के पुखिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्षियान्तर्यान तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

जल अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यालयी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

ग्राम पंचायत समिक्षार्थी चिन्ह
ग्राम पंचायत.....
विंख०-सादात, गाजीपुर

M.P. Singh
Sushma (Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

भवदीय रोना २०६४

प्रधान

ग्राम पंचायत-शिकारपुर
विकास खण्ड-सादात
तहसील जखनियाँ, जिला-गाजीपुर

ग्राम प्रधान



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 12/6/23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 11/7/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: रुक्मिणीपुर

ग्राम पंचायत का नाम: रुक्मिणीपुर

ब्लॉक का नाम: साढ़ापुर

ज़िला का नाम: गाजीपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुड़ी को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठें पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): ग्राम पंचायत पृष्ठ ५५ अंत तक संवृद्धि लागू होगी

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: प्रिया रत्नाला

लिंग: महिला

आयु:

प्रधान
प्रधान
विकास जल संवर्धन
ग्राम पंचायत-शिकारपुर
तहसील जखनीया, ज़िला-गाजीपुर

P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Panasi(U.P)

III. सामान्य विवरण

6.

प्रति वर्ष जनसंख्या	वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____
प्रति वर्ष जनसंख्या	वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
 वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

प्रति वर्ष जनसंख्या	वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____
प्रति वर्ष जनसंख्या	वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 169 से 180 मि.मी.11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)

(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)

(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

आवासीय क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र
आग्नयाड़ी	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र
आग्नयाड़ी	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र
आग्नयाड़ी	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र	प्रौद्योगिकी क्षेत्र

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 43.12 के.एल.डी.
मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 73 के.एल.डी.
मवेशी कंडों की आवश्यक संख्या: 4
मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 123.11 के.एल.डी.
अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 70.4 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: मलेरिया, हैप्पा, २१२३०१३२
- पानी की गुणवत्ता
20. फील्ड परीक्षण किट / वायरल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: _____
21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत
का नाम (अवस्थिति): _____

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे
अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 60% के.एल.डी.अलग-अलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 8उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड्ढों की आवश्यकता है: 9

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढों की संख्या: _____

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँयदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभी नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सार ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____

वार्षिक प्रयालन व रख-खाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन समावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.

मेल-जोल योजना का विवरण			
मेल-जोल योजना का विवरण			
मेल-जोल योजना का विवरण			
मेल-जोल योजना का विवरण			



संक्षेपिता नाम	विवरण	संक्षेपिता नाम	प्रत्यावर्ती
एकीकृत बाटरशेड परिवर्तन कार्यक्रम (आर.डब्ल्यू.एम.पी.)	जल संसाधन विभाग	जल और जल संसाधन विभाग	जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.टी.ए.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बाटरशेड से संबंधित कार्य
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	पर्यावरण, वन और जलवाया विभाग	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सहम-सिंचाई का प्रावधान, एक्चीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए
संतुष्टि-प्रभुक वर्तीकरण कार्य प्रबल्पन और आयोजना प्राधिकरण	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	पर्यावरण, वन और जलवाया विभाग	कौशल विकास, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, बाटरशेड विकास, आदि।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
सम्मानिता	मनव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में प्रेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (के.एम.ए.व)	राज्य	बड़े वैमानि पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.ए.ल.ए.टी.	सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.पी.एस.पी.आई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम.एस.ए.ए.ल.ए.टी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई.एस.ए प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो)

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबरः

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबरः

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबरः

1. अरिता देवी ⇒ ७०५४४६७८०७
2. ममता गोद = ८३१४९६४५७५
3. पूनम = ८६०१०८५४१११
4. साईरा = ८०८१०८६३०९
5. राधा = ७३०९२३८०९।

पाप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर

मीना भाटा
प्रधान
ग्राम पंचायत-शिकारपुर
विधान सभा सादात
तहसील जखान जीपुर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)